FORM NO. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

# Order Sheet

**Court of District collector..................................at- Phalodi**

---------------------------अशोक कुमार------------------------- Versus ---------------------सुनील पंवार----------------------

Number of Case -------------------01------------------ Year 2025-----------------------

| Date | Order with initials of Presiding Officer | Brief note of compliance of the order |
|---|---|---|
| 25/02/2025 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी गैर हाजिर। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी आऊ श्री सुनिल पंवार द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यानुसार वर्तमान उपखण्ड अधिकारी श्री सुनिल पंवार के विरूद्व पक्षपात कर एक माह से हर सप्ताह तारीख नियत करने एवं अप्रार्थी , प्रार्थी द्वारा दी जाने वाली दलीलों को नहीं सुनने तथा प्रतिवादीगण से मिलीभगत कर आनन फानन में बिना जबाब व बहस के जल्दबाजी में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के कारण उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं मूल पत्रावली प्राप्त की गई।<br>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ के प्राप्त रिपोर्ट एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली में अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में पक्षपात कर पिछले एक माह से हर सप्ताह तारीख नियत करने का तथ्य पूर्णतः झूठे, मनगढंत एवं सारहीन सिद्व होता है। पैरा संख्या 2,3 एवं 4 के तथ्य सिद्व करने हेतु प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा वर्णित आरोप सारहीन, मनगढंत प्रतीत होता है। किन्तु न्यायहित में पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर बापिणी को स्थानान्तरित की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, बापिणी को आदेश दिया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व वाद संख्या 32/2024 बअनवान अशोक कुमार शर्मा बनाम बीरमाराम वगैरह में उभयपक्षकारान को सूचना दी जाकर विधिवत एवं न्यायिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।<br>जिला कलक्टर<br>फलोदी | |